कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन (कलेक्ट्रेट परिसर कमरा नं.-14) जिला-बीजापुर (छ०ग०)

फोन नम्बर 07853-220098 मोबाईल नम्बर 9301778100 ई-मेल मेल **adfbijapur18@gmail.com**

क्रमांक/ 27 /स.सं.म.पा./स्था./DMF/संविदा नियुक्ति/2022-23 बीजापुर,दिनांक 05 /12/2022

-:: संविदा (पूर्णतः अस्थाई) नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::-

जिला-बीजापुर अन्तर्गत विकासखण्ड स्तरीय विभागीय कार्यपालिक मैदानी अमलों छः मत्स्य निरीक्षकों की वर्ष फरवरी 2022 से रिक्तिता होने के कारण राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित लोकहित की जनकल्याणकारी योजनाओं को शतप्रतिशत् सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने हेतु रिक्त मत्स्य निरीक्षक के पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (**DMF**) मद् के अंतर्गत् तीन मत्स्य निरीक्षक के पदों पर संविदा (पूर्णताः अस्थाई) नियुक्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। जिसके लिये इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को कार्यालय सहायक संचालक मछलीपालन जिला-बीजापुर (छ.ग.) में दिनांक 05.01.2023 को सांय 5.30 बजे तक सम्बन्धित पद के विरूद्ध भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र का एक सेट स्वःप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संविदा भर्ती हेतु रिक्त मत्स्य निरीक्षकों के पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स० क्र०	पदनाम	कार्यक्रम	एक मुश्त वेतन	रिक्त पद संख्या
1	2	3	4	5
1	मत्स्य निरीक्षक	जिला खनिज संस्थान न्यास (**DMF**)	25000/-	03

(A) शैक्षणिक योग्यता :-

स० क्र०	पदनाम	कार्यक्रम अन्तर्गत् भर्ती	योग्यता/Qualification	रिमार्क
1	2	३	4	5
1	मत्स्य निरीक्षक	जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF)	B.F.SC./ B.SC जीव विज्ञान	BFSC आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(B) चयन प्रक्रिया :-

1- मत्स्य निरीक्षकों के पदो की भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के प्रतिशत् का 75% अंक एवं अनुभव के लिए अधिकतम् 05 अंक एवं अनुभव के लिए अधिकतम 05 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक, जो अधिकतम 05 वर्षों के लिए ही होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यानुभव ही मान्य होंगे) निर्धारित है 20% अंक साक्षात्कार के होंगे।

2- मत्स्य निरीक्षक के पदों हेतु अंतिम चयन सूची,शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 80% अंक एवं अनुभव के आधार एवं साक्षात्कार प्राप्त अंकों को वरियता के आधार जोड़कर बनाई जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

(C)आवश्यक शर्तें

1- सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानेदय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ते/सुविधायें देय नहीं होंगे।

2- मत्स्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु बीजापुर जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी नहीं होने मिलने की स्थिति में बस्तर संभाग के अन्य जिले के अभ्यर्थियों से चयन की कार्यवाही की जावेगी। बस्तर संभाग से अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों से चयन की कार्यवाही की जावेगी।

3- भर्ती के संबंध में समस्त जानकारियाँ, बीजापुर जिले की **NIC** की वेबसाइट WWW.Bijapur.gov.in पर अपलोड़ एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावेगी।

4- प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई अथवा भर्ती निरस्त की जा सकती है।

5- संविदा अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भविष्य में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती होने के स्थिति में संविदा के पद स्वतः निरस्त माने जाएंगे, अथवा दूसरे स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

6- प्रतीक्षा सूची की वैद्यता केवल 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्याग-पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

7- आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीब्द्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें । आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में, 2. निवास प्रमाण-पत्र,3. आरक्षित वर्ग की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी का),4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, 10वीं./12वीं व **BFSC/BSC** की मार्कशीट सहित, 5. अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र)।

8- अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम् पासपोर्ट आकर का फोटो चस्पा कर स्व-प्रमाणित करें एवं आवश्यक सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्यतः सलग्न करें।

9- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित आवेदंन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा,अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

10- आवेदक की आयु दिनांक 05.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधितम् 35 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु लागू आरक्षण नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

11- भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा ।

12- भर्ती प्रक्रिया के दौरान होनें वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला कलेक्टर महोदय, जिला-बीजापुर को होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

13- चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग-पत्र देने के पूर्व 01 माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।

14- एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएँ स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

15- संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हड़ताल इत्यादि में जाने की अनुमति नहीं होगी। धरना/हड़ताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार, जिलाधीश कलेक्टर जिला-बीजापुर को होगा।

16- सेवा प्रदाता पदों से संबंधित काउन्सलिंग में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

17- संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिनों के अन्दर,प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड से फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

18- विज्ञापन से लेकर, संविदा नियुक्ति तक ही समस्त प्रक्रिया का जिला प्रशासन/विभाग का शतप्रतिशत् एकाधिकार सुरक्षित रहेगा जिसके तहत् किसी भी विवाद/सुधार की स्थिति में संविदा नियुक्ति विज्ञापन/प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकेगा इस संबंध में जिला प्रशासन का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं किया जायेगा।

19- प्रथम स्वीकृत मत्स्य निरीक्षक के 03 पद स्वीकृति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि होगी, जिससे जिला प्रशासन की अनुमति/स्वीकृति से गुणदोषों /योजना के शतप्रतिशत क्रियान्वयन के आधार पर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

20- राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के लिए रिक्तियों की आरक्षण अनुसार एवं जिला कलेक्टर बीजापुर के अनुमति से चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जावेगी।

21- साक्षात्कार के समय आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों की छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज साथ में लाना होगा।

05/12/22

सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner